रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1976/चैत्र 13, 1898
No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1976/CHAITRA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April 1976

S.O. 280(E)/IDRA/76/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 474(E)/IDRA/29B/75 dated the 5th September, 1975, namely:—

In paragraph 1(i) of the said notification, after the brackets and words "(Department of Industrial Development)", the words "as amended from time to time" shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Notification No. S.O 474(E)/IDRA/29B/75 dated the 5th September, 1975, makes a reference to notification No. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973. The latter notification was subsequently amended by another notification No. 123(E)/IDRA/29B/74/2 dated the 26th February, 1974, to include a few more articles in the schedule to that notification. While issuing the notification dated the 5th September, 1975, the reference to 16th February, 1973 notification was not described to include the amendments

made by the 1974 notification on the ground that a reference to a notification will include therein all amendments made subsequently. However, as a doubt was felt whether the subsequent amendments have also been referred to in the reference to the notification of 16th February, 1973, this notification is being issued retrospectively from the date of issue of S.O. 474(E)/IDRA/29B/75 dated the 5th September, 1975 so as to make it explicit what is already implicit in the reference. It is hereby certified that no one will be adversely affected by the retrospective effect being given to this notification.

[No. F. 12(21)/Lis. Pol./75]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1976

का० आ० 280 (अ)/—आई डी आर ए/76/1—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 474(अ)/आई डी आर ए/29बी/75 तारीख 5 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1(1) में "(औद्योगिक विकास विभाग) की" कोष्ठकों और शब्दों के पश्चात् "समय-समय पर यथा संशोधित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अन्तःस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

अधिसूचना संख्या का०आ० 474(ई) (आई०डी०आर०ए०/29बी/75-दिनांक 5 सितम्बर, 1975. में अधिसूचना संख्या 98(ई),आई०डी०आर०ए०/29बी/73/1 दिनांक 16 फरवरी, 1973 का संदर्भ दिया गया है। पिछली अधिसूचना में बाद में एक अन्य अधिसूचना संख्या 123(ई)/आई०डी०आर०ए०/29बी/74/2 दिनांक 26 फरवरी, 1974 द्वारा उस अधिसूचना की अनुसूची में कुछ और वस्तुएं सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया था। 5 सितम्बर, 1975 की अधिसूचना जारी करते समय 16 फरवरी—1973 की अधिसूचना के संदर्भ में 1974 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन का उल्लेख इस कारण नहीं किया गया था कि एक अधिसूचना का उल्लेख करने में बाद में किए गए सभी संशोधन उसमें सम्मिलित होंगे। किन्तु चूंकि यह शंका पैदा हुई थी कि 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना के संदर्भ में किए गए सभी संशोधनों का भी उल्लेख किया गया है अथवा नहीं अत. यह अधिसूचना का० आ० 474(ई) आई०डी०आर०ए०/29बी/75 दिनांक 5 सितम्बर 1975 के जारी होने की तिथि से पूर्व व्यापित सहित जारी की जा रही है ताकि संदर्भ में जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट किया जा सके। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापित तिथि से लागू करने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० फा० 12(21)/ला०नीति/75]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976